रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 261] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 1969/श्रावण 9, 1891
No. 261] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 1969/SRAVANA 9, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

S.O. 3121.—

FORM I

[*See* Rule 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1952.]

PUBLIC NOTICE

OF

ELECTION TO THE OFFICE OF VICE-PRESIDENT OF INDIA

Whereas a notification under sub-section (1) of section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the office of Vice-President of India has been issued, I, B. N Banerjee, the Returning Officer for such election, do hereby give notice that—

(i) nomination papers may be delivered to the undersigned at his office in Room No. 29, Parliament House, New Delhi, or, if he is unavoidably absent, to the Assistant Returning Officer Shri P. N. Krishna Mani, Deputy Secretary, Rajya Sabha Secretariat, at the said office between 11 A.M. and 3 P.M. on any day not later than the 9th August, 1969;

(ii) forms of nomination paper may be obtained from the said office during office hours on any working day;

(iii) the scrutiny of nomination papers will take place at the said office on the 11th August, 1969 at 11 A.M.

B. N. BANERJEE,
Secy., Rajya Sabha
and
the Returning Officer for the Vice-Presidential Election.

NEW DELHI,
Dated the 31st July, 1969

एस० ओ० 3122 :—

राज्य सभा सचिवालय

प्ररूप 1

(राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1952 का नियम 3 देखिये)

भारत के उप-राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना

यतः भारत के उप-राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए राष्ट्रपतीय और उप राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर मैं, बी० एन० बनर्जी, एतद्द्वारा सूचना देता हूं कि—

(i) नाम निर्देशन-पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता को नई दिल्ली में उसके कार्यालय कमरा नं० 29, संसद भवन, नई दिल्ली, में या यदि वह अपरिवर्जनीयतः अनुपस्थिति है तो सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, श्री पि० एन० कृष्ण मणि, उप-सचिव, राज्य सभा सचिवालय, को उक्त कार्यालय में 9 अगस्त, 1969 के अपश्चात् दिन को 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न के बीच परिदत्त किये जा सकेंगे ;

(ii) नाम-निर्देशन-पत्र के प्ररूप उक्त कार्यालय से किसी कार्यकरण दिन को कार्यालय-समय के दौरान अभिप्राप्त किए जा सकेंगे ;

(iii) नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा उक्त कार्यालय में 11 अगस्त, 1969 को प्रातः 11 बजे की जाएगी ।

बी० एन० बनर्जी,
सचिव, राज्य सभा
तथा
उपराष्ट्रपतिय निर्वाचन के लिए
निर्वाचन पदाधिकारी ।

नई दिल्ली;
तारीख, 31 जुलाई, 1969 ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969